



Neutral Citation No. -2026: AHC:42870

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2516/2026

रामविजय

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: संतोष कुमार तिवारी

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. कार्यालय ने अपनी दिनांक 24.02.2026 की रिपोर्ट में बताया है कि मामले के प्रथम सूचनाकर्ता को जारी किया गया नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील किया गया है। नोटिस तामील होने और सूची में संशोधन के बावजूद, न तो प्रथम सूचनाकर्ता और न ही उच्च न्यायालय की विधिक सेवा की ओर से कोई उपस्थित हुआ।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी अमित कुमार गौर को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 996 सन् 2026 में पारित आदेश द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है, जिसकी प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है और अभिलेख में अभिलिखित की गई है। अतः यह तर्क दिया गया है कि आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत का अधिकारी है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता सिद्ध करने के लिए कई अन्य निवेदन भी न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण अभियुक्तों को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तत्पर है। आगे उन्होंने बताया कि आवेदक 20.11.2025 से जेल में है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यदि आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा, यद्यपि वे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा समानता के संबंध में दिए गए तर्कों से असहमत नहीं हो सके।

5. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक **राम विजय** को सत्र मामला संख्या 2456 सन् 2025, मामला अपराध संख्या 237 सन् 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 352, 351(3), 70 और पाक्सो अधिनियम की धारा 5जी/6 के अन्तर्गत, थाना कोलहुई, जिला महाराजगंज में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बन्धपत्र और समान राशि के दो स्थानीय जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।

v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"